	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 22, शुक्रवार, *शाके 1946*- दिसम्बर 13, *2024* *Agrahayana 22, Friday, Saka 1946- December 13, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 13, 2024

संख्या एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/00212 :-चूँकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) की अपेक्षानुसार राजस्थान राज-पत्र में '' विक्रय संवर्द्धन (विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 में यथा सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योग में) कार्य में नियोजन" में नियोजित श्रमिकों/कामगारो के संबंध में न्यूनतम मजदूरी की दरों में पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6) न्यू.म.अभि./ श्रम/आई.आर./2000/ पार्ट/ 24143 दिनांक 31.08.2023 द्वारा राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 04.09.2023 में प्रकाशित किये गये थे।

चूंकि उक्त प्रास्तावों के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदन पर राज्य सरकार द्वारा विचार-विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) सपठित धारा (3) की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार की पूर्व अधिसूचना दिनांक 28.06.2022 जो राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 20.07.2022 में प्रकाशित हुई थी, का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात राजस्थान राज्य में '' विक्रय संवर्द्धन (विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 में यथा सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योग में) कार्य में **नियोजन" में नियोजित कर्मचारी/श्रमिकों के सम्बन्ध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 01.01.2023** से पुनरीक्षित करती है:-

क्र.सं.	अनुसूचित नियोजन का नाम	कर्मचारियों के वर्ग	न्यूनतम मजदूरी की प्रस्तावित दर (रूपये में)
1	विक्रय संवर्द्धन (विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 में यथा सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योग में) कार्य में नियोजन	**उच्च कुशलः-** विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (एम.आर.)	359/-रूपये प्रतिदिन या 9334/-रूपये प्रतिमाह

टिप्पणियाॅ-

1. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26का भाग देकर की गई है।
2. इसमें किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी कर्मचारी की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके संबंध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।
3. अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
4. उक्त नियोजनों में कार्यरत कर्मचारी के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।
5. निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों (8 घण्टें प्रतिदिन) से अधिक किसी कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय (overtime) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
6. उच्च कुशल **(Highly Skilled)** कार्य से आशय है, ऐसा कोई भी कार्य, जिसमें सघन तकनीक या व्यवसायिक प्रशिक्षण या लम्बे वर्षो के व्यवहारिक (Practical) कार्य के अनुभव के आधार पर अर्जित कुछ खास कार्यो के सम्पादन में पूर्णता की डिग्री और पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है, सम्मिलित हैं।
7. मजदूरी की न्यूनतम दरे ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होगी।
8. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर अलवरएवं भीलवाडा केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (consumer Price Index)दिनांक 1.7.2021 से 31.12.2022 तक अधिसूचना में सम्मिलित कर लिये गये है। इस अवधि में उपभेक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 687 अंक है।
9. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 01.01.2023 से लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

धर्मपाल सिंह,
अति0 श्रम आयुक्त एवं,
पदेन संयुक्त शासन सचिव,
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।